भारत सरकार

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 849

जिसका उत्तर 24.07.2025 को दिया जाना है

राष्ट्रीय राजमार्ग 66 पर घटिया सॉइल नेलिंग प्रक्रिया

849. एडवोकेट डीन कुरियाकोस:

क्या सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार के संज्ञान में आया है कि विशेषकर राष्ट्रीय राजमार्ग (एन एच) -66 पर मिट्टी ज़माने (सॉइल नेलिंग) का कार्य घटिया स्तर का है और यदि हाँ, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या ऐसे कार्य करने वाली फर्मों के खिलाफ कोई कार्रवाई की गई है और यदि हाँ, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) केरल में भारी वर्षा और जलभराव की स्थिति देखते हुए क्या राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा मिट्टी की गुणवत्ता का परीक्षण और सॉइल नेलिंग की प्रक्रिया का समुचित मूल्यांकन किया गया है और यदि हाँ, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री
(श्री नितिन जयराम गडकरी)

(क) और (ख) विवरण संलग्न हैं।

(ग) ठेकेदार/रियायतग्राही, अनुबंध/रियायत समझौते के अनुसार, आईआरसी के दिशानिर्देशों और मानकों के अनुसार मिट्टी/ढलानों का पर्याप्त परीक्षण और ढलान/कटाव सुरक्षा उपायों का मूल्यांकन करने के लिए बाध्य है। स्वतंत्र इंजीनियर/प्राधिकरण इंजीनियर और परियोजना निदेशक नमूनों की यादृच्छिक परीक्षण जाँच के लिए उत्तरदायी हैं।

अनुबंध

"राष्ट्रीय राजमार्ग 66 पर घटिया सॉइल नेलिंग प्रक्रिया" के संबंध में एडवोकेट डीन कुरियाकोस द्वारा दिनांक 24.07.2025 को पूछे गए लोकसभा अतारांकित प्रश्न संख्या 849 के भाग (क) और (ख) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध

क्र. स.	घटिया स्तर पर की गई सॉइल नेलिंग प्रक्रियाओं का विवरण	की गई कार्रवाई
1.	राष्ट्रीय राजमार्ग 66 के खंड चेंगाला नीलेश्वरम में सॉइल नेलिंग ढहने की घटना दिनांक 16.06.2025 को चैनेज 58+040 से चैनेज 58.100 (60 मीटर) के बीच हुई।	रियायतग्राही और उसके प्रोमोटर मेसर्स मेघा इंजीनियरिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है जिसमें 1 वर्ष तक या सुधार कार्य पूरा होने तक, जो भी बाद में हो, + असफल कार्य के वर्तमान मूल्य का 5% या पूरे कार्य के अनुबंध मूल्य का 0.5%, जो भी अधिक हो, का जुर्माना लगाया जाएगा, इसके अलावा, उन्हें एनएचएआई की चालू/भविष्य की बोलियों में भाग लेने से एक महीने के लिए या जब तक वे उचित अध्ययन के साथ सुधारात्मक उपाय प्रस्तुत नहीं कर देते/यह साबित नहीं कर देते कि ऐसी विफलताएँ दोबारा नहीं होंगी, अस्थायी रूप से निलंबित कर दिया जाएगा।
2.	अझियुर वेंगलम के खंड में किमी 191+820 से किमी 92+100 (एलएचएस), किमी 193+400 से किमी 193+540 तक सॉइल नेलिंग का कार्य ढह गया है।	रियायतग्राही मेसर्स अझियुर-वेंगलम रोड प्राइवेट लिमिटेड को 1 वर्ष तक की रोक + 50 लाख रुपये से 5 करोड़ रुपये तक का जुर्माना लगाने के लिए कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। रियायतग्राही को निर्देश दिया गया है कि वे अपने खर्च पर सुधार/उपचारात्मक उपाय करें। आइ ई को 1 वर्ष तक की रोक और 20 लाख रुपये के जुर्माने के लिए कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है।

****